कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश
(पंजीयन भवन, प्लॉट नं. 35 A, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011)

क्रमांक 263 / C.N.-335989 / स्था.सेवा / 2022 भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर, 2024

प्रति

श्री विवेक बावरिया,
विजनेस एनालिस्ट
एम.पी. ऑन लाईन,
मध्यप्रदेश

विषय – विभाग में रिक्त निशक्तजनों के पदों की पूर्ति हेतु ऑन–लाईन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जाने के संबंध मे।

संदर्भ – आपका ई–मेल दिनांक 05.09.2024

———

उपरोक्त विषयक संदर्भित ई–मेल के अनुक्रम में लेख है कि Application Live Date दिनांक 26.09.2024 से 21.10.2024 तक निर्धारित की गयी है तथा आवेदन संशोधन दिनांक 23.10.2024 तक निर्धारित की गयी है। तत्संबधी विज्ञापन दिनांक 25.09.2024 के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु आयुक्त, जन सम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश को प्रेषित किया जा रहा है।

विज्ञापन की प्रति एवं रूल बुक आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

उप महानिरीक्षक पंजीयन
वास्ते महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश

"पंजीयन भवन" प्लॉट नं.35–ए, अरेरा हिल्स भोपाल–462011

(वेबसाइट **www.mpigr.gov.in** , ई–मेल **igrebpl@nic.in**)

क्रमांक 262/स्था.सेवा/2024

भोपाल दिनांक 24/09/2024

स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड–3 के निःशक्तजों (दिव्यांगजन) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन (वर्ष 2024)

दिव्यांगजन हेतु चिन्हांकित पदों में से स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड–3 के रिक्त पदों की पूर्ति एम.पी.ऑन लाईन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाकर निम्नानुसार की जानी है –

1. दिव्यांगजनों के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	कुल रिक्त पद	रिक्त पदों में दिव्यांगजन की श्रेणी
1	स्टेनोग्राफर	01	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि – 01 पद
2	सहायक ग्रेड–3	01	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि – 01 पद

2. **ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि** :– दिनांक **26.09.2024** से **21.10.2024** तक तथा आवेदन संशोधन दिनांक 23.10.2024 तक रहेगी।
3. **ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की उपलब्धता** :– एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, मध्यप्रदेश भोपाल की बेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से स्वयं एवं एम.पी. ऑनलाईन के किसी कियोस्क केन्द्र के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाईन भरा जा सकता है।
4. **सामान्य शर्तें** :–

4.1 मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा संबंधी प्रावधान, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता, आदि समस्त विस्तृत विवरण/नियम पुस्तिका एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, मध्यप्रदेश भोपाल की बेबसाइट www.mponline.gov.in पर एवं पंजीयन विभाग की बेबसाइट www.mpigr.gov.in पर उपलब्ध है।

4.2 आवेदकों के पास समस्त निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं, आवेदन नियम पुस्तिका (रूल बुक) में उल्लेख अनुसार होना अनिवार्य है। इसके बाद किसी भी दिनांक को अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पद के लिए विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे ।

विशेष नोट :– सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया के दौरान यदि कोई कम्प्यूटर/टंकण/लिपिकीय त्रुटि पायी जाती है तो पंजीयन विभाग किसी भी स्तर पर वैध सुधार का अधिकार सुरक्षित रखता है।

उप महानिरीक्षक पंजीयन
वास्ते महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश

"पंजीयन भवन" प्लॉट नं.35–ए, अरेरा हिल्स भोपाल–462011
(वेबसाइट **www.mpigr.gov.in** , ई–मेल **igrebpl@nic.in**)

रूल बुक

1. दिव्यांगजनों के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	कुल रिक्त पद	रिक्त पदों में दिव्यांगजन की श्रेणी
1	2	3	4
1	स्टेनोग्राफर	01	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि – 01 पद
2	सहायक ग्रेड–3	01	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि – 01 पद

2. शैक्षणिक अर्हताएं :– ऑन–लाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **21.10.2024** में आवेदक को निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य है :–

स्टेनोग्राफर के पद हेतु –

(1) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (पुरानी पद्धति) या 10+2 शिक्षा पद्धति से 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

(2) आई.टी.आई. से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र अथवा मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परिषद्अथवा मान्यता प्राप्त अन्य संस्था से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र अथवा अखिल भारतीय तकनीकी परीक्षा परिषद् (एआईसीटीई) से मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से माडर्न ऑफिस मैनेजमेन्ट में डिप्लोमा प्रमाण–पत्र होना चाहिये।

(3) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के क्रमांक सी 3–8/2013/1/3, भोपाल दिनांक 01 जुलाई, 2013 के संशोधित पत्र क्रमांक सी 3–15/2014/1/3 भोपाल दिनांक 26.02.2015 के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test –CPCT) प्रमाण–पत्र (स्कोर कार्ड) अनिवार्य (सेक्शन–1 एवं सेक्शन–2 (कम्प्यूटर टाईपिंग दक्षता (हिन्दी)) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।)

(4) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के क्रमांक सी 3–8/2013/1/3, भोपाल दिनांक 01 जुलाई, 2013 के संशोधित पत्र क्रमांक सी 3–07/2015/1/3 भोपाल दिनांक 18.08.2015 एवं पत्र क्रमांक सी 3–5 /2016/1–3 भोपाल दिनांक 27.07.2016 के अनुसार निम्नांकित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिये :–

(i) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।

(ii) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।

(iii) डी.ओ.ई. ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।

(iv) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से माडर्न ऑफिस मैनेजमेन्ट कोर्स।

(v) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (SCVT) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण–पत्र।

(vi) उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी– (अ) बी.ई.(सी.एस./आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.)/बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.)/एम.टेक/एम.ई.इत्यादि, (ब) ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पोलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर सांईस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नॉलाजी इत्यादि।

<u>सहायक ग्रेड–3 के पद हेतु</u> :–

(1) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (पुरानी पद्धति) या 10+2 शिक्षा पद्धति से 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

(2) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के क्रमांक सी 3–8/2013/1/3, भोपाल दिनांक 01 जुलाई, 2013 के संशोधित पत्र क्रमांक सी 3–15/2014/1/3 भोपाल दिनांक 26.02.2015 के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test –CPCT) प्रमाण–पत्र (स्कोर कार्ड) अनिवार्य (सेक्शन–1 एवं सेक्शन–2 (कम्प्यूटर टाईपिंग दक्षता (हिन्दी)) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।)

(3) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के क्रमांक सी 3–8/2013/1/3, भोपाल दिनांक 01 जुलाई, 2013 के संशोधित पत्र क्रमांक सी 3–07/2015/1/3 भोपाल दिनांक 18.08.2015 एवं पत्र क्रमांक सी 3–5 /2016/1–3 भोपाल दिनांक 27.07.2016 के अनुसार निम्नांकित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिये :–

(i) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।

(ii) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।

(iii) डी.ओ.ई. ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।

(iv) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से माडर्न ऑफिस मैनेजमेन्ट कोर्स।

(v) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (SCVT) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण–पत्र।

(vi) उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी– (अ) बी.ई.(सी.एस./आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.)/बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.)/एम.टेक/एम.ई.इत्यादि, (ब) ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पोलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर सांईस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नॉलाजी इत्यादि।

3. वेतनमान :– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3–13/2019/3/एक, दिनांक 12.12.2019 अनुसार नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाकर परिपत्र अनुसार स्टायपेंड के रूप में निम्नानुसार वेतनमान देय होगा :–

स्टेनोग्राफर पद हेतु – वेतन मेट्रिक्स लेवल–7 28700–91300 (सातवां वेतनमान)

सहायक ग्रेड–3 पद हेतु – वेतन मेट्रिक्स लेवल–4 19500–62000 (सातवां वेतनमान)

4. चयन की प्रक्रिया :– अभ्यार्थियों का चयन न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हायर सेकेण्डरी में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर प्रावीण्यता सूची बनाकर किया जावेगा। प्रावीण्यता सूची बनाये जाने हेतु वरीयता क्रम निम्नानुसार होगा :–

(1) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हायर सेकेण्डरी में प्राप्तांक ,
(2) हायर सेकेण्डरी में प्राप्त प्रतिशत समान होने पर सी.पी.सी.टी. में हिन्दी टाईपिंग नेट शब्द प्रति मिनिट
(3) उपरोक्त दोनों बिन्दु समान होने पर आयु वरिष्ठता ।

5. आवेदन पत्र के साथ अधोलिखित दस्तावेज एवं जानकारी संलग्न करना अनिवार्य है :–

(1) आवेदन पत्र के साथ क्षैक्षणिक अर्हता संबंधी समस्त प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की स्व. प्रमाणित छायाप्रति तथा पासपोर्ट साईज के स्व–प्रमाणित दो फोटोग्रॉफ्स । (2) मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थायी निवासी होने का प्रमाण–पत्र। (3) आयु सीमा 18 से 45 वर्ष (सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 04 जुलाई, 2019 अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट समाहित है) आयु सीमा की गणना दिनांक 01.01.2024 के आधार पर की जायेगी। (4) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग से संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण की स्व–प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप सें संलग्न करनी होंगी। (5) शासन द्वारा स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त विकलांग होने के प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति (अभ्यर्थी के चयनित होने पर कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र का सत्यापन भी अनिवार्य रूप से कराया जायेगा)। (6) रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र। (7) विवाह के लिए नियत की गयी न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह करने वाले आवेदक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

नोट :– भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 05.05.2021 द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01.06.2021 के बाद समस्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र केवल यूडीआईडी पोर्टल नामतः http://www. swavlambancard.gov.in के माध्यम से नियमानुसार जारी किये गये डिजीटल प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

6. आवेदक द्वारा असत्य/भ्रामक/मिथ्या जानकारी अथवा दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने अथवा किसी भी कारण से नियम विरूद्व नियुक्ति हो जाने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी।

7. नियुक्ति संबंधी समस्त अधिकार महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश के पास सुरक्षित होंगे। किसी भी कारण से विज्ञप्ति निरस्त की जा सकती है।

8. आवेदन फार्म का पोर्टल चार्ज 250 + 18% जीएसटी प्रति आवेदन, आवेदको द्वारा देय होगा।

9. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

उप महानिरीक्षक पंजीयन
वास्ते महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश